



बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- 1760/दिनांक- 06.04.2018/रबी विपणन अधिप्राप्ति-03/2017 336/खाद्य, पटना/दिनांक- 16-07-2018

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

रबी विपणन मौसम 2018-19 अन्तर्गत व्यापारमंडल/पैक्स द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अधिप्राप्ति गेहूँ को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहरण केन्द्र पर जमा करने के संबंध में।

प्रसंग:- निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना का पत्रांक- 6101 दिनांक- 10.07.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रबी विपणन मौसम 2018-19 में राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विभागीय पत्र संख्या- 1760 दिनांक- 06.04.2018 द्वारा विस्तृत कार्य योजना निर्गत करते हुए दिनांक- 30.06.2018 तक गेहूँ अधिप्राप्ति कर बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित संग्रहरण केन्द्रों पर जमा करने हेतु अन्तिम तिथि का निर्धारण किया गया था। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से संग्रहरण केन्द्रों में व्यापारमंडल/पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ जमा करने की गति धीमी होने एवं निर्धारित तिथि तक संग्रहरण केन्द्रों में शतप्रतिशत अधिप्राप्ति गेहूँ जमा नहीं हो पाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधिकतम दिनांक- 31.07.2018 तक संग्रहरण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा करने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पत्र संख्या- 6347 दिनांक- 22.06.2018 के आलोक में विभागीय पत्र संख्या- 3120 दिनांक- 02.07.2018 द्वारा किसानों से अधिप्राप्त गेहूँ को दिनांक- 10.07.2018 तक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहरण केन्द्रों में जमा करने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित किया गया था। परन्तु अबतक अधिप्राप्त गेहूँ के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहरण केन्द्रों पर भारी मात्रा में गेहूँ जमा कराना शेष रह गया है।

अतः निबंधक सहयोग समितियों, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय पत्र संख्या- 1760 दिनांक- 06.04.2018 द्वारा किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 30.06.2018 को यथावत रखते हुए उक्त तिथि तक किसानों से अधिप्राप्ति गेहूँ को दिनांक- 25.07.2018 तक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहरण केन्द्रों में जमा करने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित किया जाता है। सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण युद्ध स्तर पर करते हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाय।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Shri विश्वासभाजन,

13/7
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/रबी विपणन अधिप्राप्ति-03/2017 336/खाद्य, पटना/दिनांक- 16-07-2018
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, बिहार, पटना/निबंधक सहयोग समितियों, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, एकजीविशन रोड, बिहार, पटना/महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shri 13/7/2018
सरकार के अपर सचिव।